आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23 (80)लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2021–22/359 दिनांक 15.06.2022

स्कूटी हेतु ऑनलाईन आवेदन

राजस्थान स्थित राजकीय/निजी विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC) की छात्राओं से **कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना – 2021–22** के अन्तर्गत विभाग के पत्रांक एफ 23 (80)लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2021–22/948 दिनांक 29.12.2021 के द्वारा दिनांक 03.01.2022 से 15.02.2022 तक विभागीय वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। जिसके क्रम में विभागीय पत्रांक एफ 23 (80)लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2021–22/1306 दिनांक 24.02.2022 के द्वारा दिनांक 24.02.2022 से 15.03.2022 तक अभिवृद्धि की गयी थी।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना – 2021–22 (माध्यमिक शिक्षा विभाग) के अन्तर्गत आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC) की छात्राओं हेतु विभागीय वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन के लिये पोर्टल पुनः निम्नानुसार खोला जाता है:–

क्र.सं	योजना का नाम	पोर्टल पुनः खोलने की तिथि	पोर्टल बन्द करने की अंतिम तिथि
1.	**कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना – 2021–22** 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC)	16.06.2022	15.07.2022

योजना से संबंधित नियम, दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबधित छात्रा /अभिभावक योजनाओं से संबधित दिशा–निर्देश, परिपत्र क्रमांक–955 दिनांक–30.12.2021, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल–निवास, बैंक डिटेल आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE,TAD,Minority)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

(हरिसिंह मीना)
वित्तीय सलाहकार